



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

Ref.No.DICGC/IOD/2133 /मु.निबीप्रगनि.बीपवि.सं. 05.90.200/2014-15

July 31 2014

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक  
अधिकारी  
सभी बीमाकृत बैंक

महोदय

डीआई विवरण विलंब से प्रस्तुत करने पर दण्ड

सभी बीमाकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे संबंधित छमाही के लिए 31 मई/30 नवम्बर तक सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित डीआई विवरण प्रस्तुत करें। कई बीमाकृत बैंक डीआईसीजीसी को डीआई विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

2. इस संदर्भ में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 47 (2) के अंतर्गत डीआई विवरण देय तारीख को अथवा उससे पहले प्रस्तुत नहीं करने की प्रत्येक चूक पर रू.2000/- की और चूक जारी रखने पर चूक जारी रखने की तारीख तक प्रति दिन रू.100/- का दण्ड लगाया जाएगा।

The Chairman/Managing Director/Chief  
Executive Officer  
All Insured Banks

Dear Sir

Penalty on delayed submission of DI  
Statement

DI statements duly certified by statutory auditors are required to be submitted by all insured banks by May 31/ November 30 for respective half years. Many of the insured banks are not adhering to the time limit for submission of the the DI statement to the DICGC.

2. In this connection, failure to submit the DI statement on or before the due date shall attract penalty of Rs. 2000/- for each offence and for continuing offence, Rs. 100/- per day till the failure continues in term of section 47(2) of the DICGC Act, 1961.

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008


दूरभाष : 022-2306 2161 फैक्स: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571 Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-2306 2161 Fax: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, mail: dicgc@rbi.org.in


हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

3. तदनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि ऐसे दण्ड से बचने के लिए कृपया आप डीआई विवरण 30 अगस्त 2010 के परिपत्र डीआईसीजीसी.डीआईडी सं.3121/05.03.01/2010 - 11 के साथ भेजे गए फार्मेट में निर्धारित तारीख को अथवा उससे पूर्व अवश्य प्रस्तुत करें। डीआई विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए दण्ड से छूट के अनुरोध के किसी भी मामले पर निगम विचार नहीं करेगा।

भवदीय  
  
(डी पानमेई )  
उप महाप्रबंधक

3. You are therefore, accordingly advised to submit the DI statement on or before due date in the format provided vide circular DICGC.DID.No.3121/05.03.01/ 2010-2011 dated August 30, 2010 to avoid such penalty. Request for waiver of penalty for default in submission of DI statement will not be considered by the Corporation in any case.

Yours faithfully

  
(D. Panmei)  
Deputy General Manager